ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 25, अंक 232 फरवरी 2023

प्रभु भक्ति श्रम साधना, जग मंह जिन्ह ही पास।
तिन्ह ही जीवन सफल भयो, सति भाषै रैदास॥

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 25 अंक 232
फरवरी 2023

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/9510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2.	दलित उत्पीड़न का प्रतिरोध : 'अब मैं साँस ले रहा हूँ'	डॉ. सचिन कदम	04
4.	दलितों की शैक्षिक-आर्थिक समस्याएँ और दलित जीवन में परिवर्तन	डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले	07
5.	भारतीय महिला क्रांति के मसीहा : डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर	डॉ. वसंत आबासाहेब खरात	10
7.	21वीं सदी में भारतीय राजनीति में महिलाओं के समक्ष बाधक परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	कु. निशा गौतम (शोधार्थी) डॉ. तारिक अनवर (निदेशक)	14
8.	महात्मा गाँधी जी और नारी उत्थान	राजीव गुप्ता (शोधार्थी)	17
9.	Study The Effectiveness Of Computer Assisted Program of Marathi Grammer For B.ed. Teacher Trainees	Prof. Dr. Kailas R. Khonde Prof Dr. Kavita M. Ghughuskar	19
10.	जातिवाद की दर्दभरी वेदनाओं से रुबरु करवाता प्रतिरोध का चेतनादायी कहानी संग्रह 'कसक'	मोहनलाल सोनल, पाली (पुस्तक समीक्षक)	25

UGC Care Listed Journal
खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

भारत के मध्यकालीन संतों में संत शिरोमणि रैदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संत–कवि रैदास और उनकी विचारधारा तत्कालीन संदर्भों में एक सांस्कृतिक चमत्कार है। उसका महत्व आज भी उतना ही है, जितना सदियों पहले उनके समय में था।

मध्यकालीन भारत धार्मिक अंध विश्वासों एवं सामाजिक विकृतियों का काल था। सही मायने में यह धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक पतन का काल था। मध्यकाल के संत आन्दोलन पर टिप्पणी करते हुए रांगेय राघव ने लिखा है कि जब संसार में कार्ल मार्क्स नहीं था। जब संसार में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का चिंतन नहीं था, तब भी मनुष्य अन्याय के विरुद्ध लड़ता था और यह संघर्ष मध्यकाल के संतों में दिखाई देता है। इसलिये संत कबीर ने कहा था–

आग लगी आकाश में झर–झर गिरे अंगार।
संत न होत जगत में तो जल मरता संसार।।

इस काल में संत रैदास ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के उत्थान की जितनी जबरदस्त वकालात की है, उसका इतना सशक्त उदाहरण दो हजार साल के इतिहास में नहीं हैं। दलितों और शोषितों की यह पक्षधरता किसी स्वार्थपूर्ण सामाजिक, धार्मिक नेता के रूप में नहीं की गई है, बल्कि पीड़ितों–प्रताड़ितों और शोषितों के प्रति रैदास की पीड़ा उनके जीवन के प्रत्यक्षदर्शी अनुभवों से ऊपजी है। इसलिये उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त शोषण और प्रताड़ना की बीमारी को ही उजागर नहीं किया वरन् उसका कारण भी बताया है और इलाज भी।

तत्कालीन समय में वर्ण व्यवस्था टूटकर जाति व्यवस्था की संकीर्णता में बदलकर समाज को जर्जर कर रही थी। शूद्रों का मानसिक तनाव बढ़ रहा था। रैदास ने भी इस पीड़ा को झेला था। उनकी भक्ति–भावना को चुनौती दी गई, उनका पुरोहित वर्ग से कड़ा संघर्ष भी हुआ। लेकिन अपनी उत्कृष्ट भक्ति, तन्मयता, सच्चरित्रता, तर्क–पद्धति से आपने परम्परागत मान्यताओं को चुनौती दी और अन्ततः उन पर विजय पाई। सतगुरु रैदास ने अपने उच्च एवं सात्विक जीवन तथा शुभ कार्यों द्वारा सम्पूर्ण संसार को आध्यात्मिकता से प्रकाशित किया। उन्होंने मनुष्य को श्रेष्ठ माना और उसे प्राणीमात्र के प्रति प्रेम करने का संदेश दिया।

संत रैदास ने अपनी साखियों, दोहों और पदों में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का बड़ा ही सटीक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वे जाति के कारण किसी को छोटा–बड़ा नहीं मानते, बल्कि जाति को बुराई की जड़ मानते हैं। वे गुण की पूजा करने के पक्षधर हैं और जाति–पांति की निन्दा करते हैं। उनका कथन है कि जन्म से मनुष्य शूद्र पैदा नहीं होता है, उसकी पूजा गुणों के कारण होती है, जाति अथवा जन्म के कारण नहीं। इसलिये तुलसीदास की विचारधारा के विरुद्ध वे एक सहज मानवीय दृष्टि प्रस्तावित करते हुए कहते हैं –

रैदास बामन मत पूजिये जऊ हौवे गुन हीन।
पूजहि चरण चांडल कै जऊ हौवे गुन–परवीन।।

संत रैदास श्रमण संस्कृति के भी पक्षधर थे। श्रमण संस्कृति भारत के मूल निवासियों की संस्कृति है जो श्रम–सृजन, मानव दुख निवारण, निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान, ध्यान, योग, त्याग व प्रज्ञा पर आधारित है। संत पथ मर्मज्ञ परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं–''सभी निर्गुणवादी संत उस श्रमण संस्कृति के प्रचारक हैं, जो बौद्धों की निजी आत्मानुभूति है और जो वेद–शास्त्रों का अनुसरण नहीं करती।'' इसलिये संत रैदास कहते है –

रैदास श्रम कर खाइये जौं तौ पार बसाय।
नेक कमाई जो करे कबहु न निंहफल जाय।।

उनकी वाणी में मनुष्य की जन्मजात समानता का भाव मिलता है। किसी के ऊँचा या नीचा पैदा होने से मोक्ष की प्राप्ति और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि यह जीवन रहस्य है, केवल परमात्मा ही जीवन देता है और वही उसे लेता भी है। इसलिये जन्म से प्रसन्न और मृत्यु से दुःखी नहीं होना चाहिए –

जीवन जोत कैसे जगे कैसे होय अन्त।
रैदास मनुज न जानि सके जानत है भगवन्त।।
रैदास जनमै को हरस का, का मरने को सोग।
बाजीगर के खेल को समझत नाही लोग।

मानव धर्म के संस्थापक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत संत शिरोमणि रैदास ने वर्ग, जाति व्यवस्था, कर्मफल, यज्ञ, मूर्ति पूजा, आडम्बर, कर्मकाण्ड आदि सभी का विरोध करते हुए मानवता का उपदेश दिया। ऐसे संत शिरोमणि रैदास जी को उनकी 646वीं जयंति पर शत–शत नमन....।

– डॉ. तारा परमार

दलित उत्पीड़न का प्रतिरोध : 'अब मैं साँस ले रहा हूँ'

– डॉ. सचिन कदम

समकालीन कविता स्वतंत्रता के पश्चात् विकसित होने वाली एक ऊर्जावान काव्य–धारा है। स्वातंत्र्योत्तर समकालीन भारतीय समाज जीवन का तथा परिस्थितियों का रचनात्मक रुप समकालीन कवियों की कविताओं में अत्यंत सार्थक रुप में उभरकर सामने आता है। समकालीन कविता में पहली बार मानवीय संबंधों का जितना सूक्ष्म अंकन हुआ है शायद ही इसके पहले की हिंदी कविता में हुआ हो। समकालीन हिंदी कविता में मनुष्य के बहुआयामी जीवन की सच्चाइयों का यथार्थ रूप से अंकन किया गया है। हिंदी कविता के निरंतर प्रवाह में एक नया मोड़ आता है, वह है–उत्तर आधुनिकता। यह उत्तर आधुनिकता विमर्शों का दौर हैं। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें साहित्य मानव जीवन के व्यापक कक्षाओं को छूता हुआ दिखाई देता हैं। हिंदी ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य में जिन–जिन मानवीय संवेदनाओं की अनुपस्थिति थी उसकी उपस्थिति हम उत्तर आधुनिक कालखंड में लिखे साहित्य में स्पष्ट रुप से देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में उत्तर आधुनिक कालखंड में विमर्शवादी साहित्य में हाशिए के बाहर के समाज की व्यथा का सशक्त चित्रण हुआ है। नौवे दशक के आंदोलन, विचारों एवं परिवर्तनवादी क्रांतिकारी माहौल ने भारतीय जनमानस को झकझौर दिया था। समकालीन कविता आम आदमी के जीवन संघर्षों, विकृतियों, विषमताओं, विसंगतियों को इस प्रकार चित्रित करती है कि समकालीन परिदृश्य पूरी तरह पाठक के चेतना पटल पर अंकित हो जाता है। विमर्शवादी कविता वास्तव में उत्पीड़न का विरोध करने वाली तथा उत्पीडित के प्रति गहरी सहानुभूति और मानव अधिकरों की जोरदार वकालत करने वाली कविता है ।

सन् 1914 में 'सरस्वती' पत्रिका में एक सामाजिक आशय की कविता 'अछूत की शिकायत' प्रकाशित हुई। यह कविता भले ही विद्रोही चेतना से संपन्न न हो परंतु इसमें वर्ण व्यवस्था के शिकार दलित की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। दलित चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हमें समकालीन कविता में देखने को मिलती है। चेतना सम्पन्न हिन्दी दलित कवियों में ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, रमणिका गुप्ता, जयप्रकाश कर्दम, सुशीला टाकभौरे, कवि असंगघोष का नाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

'अब मैं साँस ले रहा हूँ' यह असंगघोष का हाल ही में प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। इसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा 2018 में हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 65 कविताएँ सम्मिलित हैं। इस संकलन की प्रथम कविता 'फूँकूँगा तूझे मैं ही' और अंतिम कविता 'डर' है। असंगघोष की कविता इस संकलन में परिपक्वता पाती है। अपने आपको पिछले छः संकलनों में अभिव्यक्ति के उपरान्त खामोश न रहनेवाला कवि सुकून की साँस लेने के लिए थोड़ा अपनी गति को धीमा करता हुआ चलता है। असंगघोष 'फूँकूँगा तूझे मैं ही' कविता में जिस ऊष्मा में कवि धधक रहा है। इसी से दाम्भिक शक्तियों को फूँकने की बात करते हैं। 'मैं तैयार हूँ' इस कविता में कवि दुश्मन के हर वार का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 'तुम नहीं जाओगे', 'गांधी का विजन' जैसी कविता में कवि का विजन स्पष्ट होता है। 'वर्जनाओं की बेडियाँ ' इस कविता में कवि समाज

की बंधिस्त बेडियों को तोड़ने की बात करते है। 'भेड़िये का सामना करना होगा', 'सुनो निदान पुकार रहा है', 'नहीं होगी हमसे बेगार' जैसी कविताएँ कवि को किसी की बेगारी करने से रोकती है। 'राष्ट्रवाद' कविता तो कवि की राष्ट्रीय अस्मिता को दर्शाती है। 'तुम्हारा पाखण्ड', 'हर सवाल का जवाब चाहिए' जैसी कविताएँ कवि के मन में चल रहें अनगिनत सवालों का जवाब माँगती है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की तरह जाति के उच्चाटन के लिए जाति खत्म कर जैसी कविता जाति नष्ट करने के लिए कवि की छटपटाहट को दर्शाती है। 'बेनकाब करुँगा', 'मुर्दा अकड़', 'सुन लो' जैसी कविताएँ अकड़े हुए वर्ग को ठीक करने के लिए काफी है। हाँ, मैं हिन्दू हूँ, 'अपने रंग' और लिख नहीं सकता प्रेम कविताएँ कवि के गंभीरता को प्रस्तुत करती हैं। उठाओ लठ्ठ, बन्दर के हाथ उस्तरा, करोडों ग्राम और हम ही गुनाहगार है जैसी कविताएँ समाज के वर्तमान संदर्भों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। रोहित वेमुला के बलिदान के बाद कवि 'हम ही गुनाहगार है' इस कविता में कहते हैं।

हाँ
हम ही गुनाहगार हैं
रोहित वेमुला तुम्हारी मौत के
कि पुरजोर विरोध नहीं कर सकें।[1]

इस तरह से असंगघोष की कविताएँ वर्तमान प्रासंगिक घटनाओं को भी पैनी नजर से देखती है। हक के लिए लड़ना असंगघोष की कविता की अपनी विशेषता है। 'रक्तबीज' और 'आदमखोर' जैसी कविताएँ इस संकलन का प्राण है। अपने आक्रोश को जमीन में बो कर अपने खून से सींचकर वे 'रक्तबीज' की उपज संघर्ष के लिए चाहते है तो 'आदमखोर' कविता में कवि हर आदमखोर का हश्र कैसे मौत ही होता है इसे बताते हैं–

हर आदमखोर का हश्र
मौत होती है।[2]

'लगाऊँगा डायनामाइट', 'थामनी है हत्यारी तलवार', 'जवाब हम देंगे', 'सुअर मार बम', और 'लगाम पर मेरा नियंत्रण है' जैसी कविताएँ कवि को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद जरुर करती है, पर उसे कभी भटकने नहीं देती क्योंकि लगाम अभी भी कवि के हाथों में है। 'क्या नहीं है जातिवाद', 'मिथकों को नकारता हूँ', 'तेरा षडयंत्र जगजाहिर हो रहा है' जैसी कविताएँ पाखण्डी शक्तियों का भण्डा फोड करने में सफल हुई है। 'तुम हुंकार भरो', 'शब्दभेदी बाण', 'भड़वी श्रेष्ठता' और 'मेरे मुँह में जुबान है' जैसी कविताएँ कवि को बोलने के लिए प्रेरित करती है। 'जरुर पहुँचूँगा', 'सत्ता खोने का भय', 'ज्वालामुखी फटना ही है' कवि असंगघोष के अभिव्यक्ति का वैचारिक पक्ष प्रकट करती है तो 'तू कर मेरे काम', 'दुश्मन बहुत ही धूर्त है', 'अब नहीं ढोऊँगा तुझे' तथा अब तेरी बारी में कवि दुश्मन को आह्वान करते हैं। 'मेरे बीज जमेंगे', 'तेरी समझ', 'तेरी चुप्पी', 'तू खून का रंग बदलवा ले' जैसी कविताएँ एक ओर धूर्त शक्तियों की पोल खोल करती है तो दूसरी ओर उसे चुनौती भी देती है। 'कौन जात हो', 'तू नहीं सीख पाऐगा' और 'अब मैं साँस ले रहा हूँ' जैसी कविताएँ असंगघोष की मन की छटपटाहट हैं। उन्हें पता है कि दुश्मन कब्र खोदकर गया है लेकिन कम्बख्त जाते समय कब्र बंद करना भूल गया। इसलिए 'अब मैं साँस ले रहा हूँ' में कहते हैं :–

जाते समय
कम्बख्त
कब्र बन्द करना भूल गया
लम्बे समय के बाद
अब मैं साँस ले रहा हूँ।[3]

'सुनो द्रोणाचार्य', 'बहुत खराब समय है', 'तेरी बेशर्मियों का रास्ता' तथा 'मेरे दो हाथ काफी है' इन कविताओं में विघातक शक्तियों के विरुद्ध दो हाथ करने के लिए अपनी क्षमता रखती है। यहाँ तक 'आते–आते कवि', 'मेरा चयन', 'माल ए मुफ्त', 'गुलाबी कागज का टुकडा', 'पायी लागी हुजूर', 'छोड़नी होंगी आदतें', और 'डर' जैसी कविताएँ 'अब मैं साँस ले रहा हूँ' इस संकलन का सौंदर्य बढ़ाती है। इस तरह असंगघोष की सभी कविताएँ कुछ–न–कुछ संदेश जरुर देती है। यह कविताएँ जैसे कवि के व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत करती है उसी प्रकार अपने आस–पास की समग्र संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त करती है। इस काव्य संकलन की कविताओं में मानव निर्मित विषमता, मनुवादी वर्णव्यवस्था, शोषण के लिए निर्माण किए गए अधर्म का सशक्त विरोध हुआ है।

असंघोष की कविता में आजादी के बाद की स्थिति का जीवंत वर्णन व्यंग्यात्मक ढंग से मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात् जीवन में खुशहाली अपेक्षित थी परंतु भूख, गरीबी और दरिद्रता ने, अशिक्षा ने, अज्ञान ने आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। इस कारण विवश और भयभीत जिंदगी लोग जी रहे हैं। इन सब की पोल खोल अपनी कविता द्वारा कवि करता है। तथाथित, उँची समझी जानेवाली जातियों की श्रेष्ठता पर वे प्रश्न चिह्न उठाते हैं। अपनी कविता 'भड़वी श्रेष्ठता' में वे भविष्य दिखाने वाले ज्योतिष शास्त्री पर कड़ा प्रहार करते हैं

पन्ना देख
बता दुनिया कहाँ जायेगी
तेरे बिना
तू नहीं रहेगा तो भी
वह नहीं थमेगी
छोड़ अपनी श्रेष्ठता
आ बराबरी में बैठ
जूता पालिश करते हैं।[4]

कवि अपनी कविता में केवल धार्मिक, पुराणों या पाखण्डी, विषमतावादी व्यवस्था पर ही टीका टिप्पणी नहीं करते बल्कि वर्तमान की विदारक परिस्थितियों को भी कलात्मक, व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते है। सरकार की अन्याय की पक्षपाती दृष्टि पर व्यंग्य प्रहार है। स्वाधिनता के सत्तर साल बाद भी भारत में जातिवाद का खात्मा नहीं हुआ । स्वाधिनता के बाद स्थापित लोकतंत्र और समाजवाद के खोखले रुप पर व्यंग्य कसते हुए राष्ट्रवाद कविता में वे कहते हैं :–

देशभक्त है हम
इसके आगे
कुछ नहीं देखते
और तुम.....
तुम फिरकापरस्त हो
इसलिए देखते हो हर
जगह जातिवाद।[5]

असंगघोष भी कबीर की तरह समानता का पक्ष लेनेवाले नीड़र कवि हैं। शासक वर्ग में भी करुणा पनपेगी और वे समानता से सभी को देखेंगे ऐसा कवि को लगता है 'रक्त सने हाथ' इस कविता में कवि असंगघोष कहते हैं :–

किसी दिन तुम सुधरोंगे
कि तुममें पनपेगी करुणा
कि इन्सानों पर रहम करना सीखोगे।[6]

असंगघोष की कविता में बिम्बात्मकता, प्रतीकात्मकता के साथ मिथक भी मिलते है। अभिजनवादी मिथकों को असंगघोष अपनी कविता में पूरी तरह से नकारते हैं। 'मिथकों को नकारता हूँ' इस कविता में वे कहते हैं :–

सरेआम निर्वस्त्र कर
जिसे तूने
पूरे गाँव में घूमाया
उस अबला को चीर बढ़ाने
कृष्ण क्यों नहीं आया ?
मेरा एक यही सवाल
तेरे सारे मिथकों को
सिरे से नकारता है
तेरी नियत पर
जी भर थूँकता हूँ।[7]

असंगघोष उन मिथकों का खण्डन करते हैं, जो परंपरागत है। उन्हें नवीन मिथक अपेक्षित है। पुराणों और इतिहास में जो पात्र उपेक्षित हैं वे उनका पक्ष लेकर उन्हें नवीनता से अभिव्यक्त करते हैं।

असंगघोष अपनी कविता के माध्यम से भारत में जितनी भी विषमताजन्य समस्याएँ हैं उन सब को जन्म देनेवाली मनुस्मृति पर आधारित विकृत वर्ण व्यवस्था को नकारते हैं। उनकी कविता अमानवी विधियों का निषेध करती है। जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश एवं विद्रोह प्रकट करती है। दबे– कूचलों को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। असंगघोष का समग्र व्यक्तित्व संघर्ष और विद्रोह से भरा पड़ा है। वर्ण वर्चस्ववादी समाज की अवहेलना तथा उत्पीड़न सहकर वे अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए उच्चधिकारी पद पर विराजित हुए हैं। जातीय उत्पीड़न का गहरा अनुभव लेने के कारण तथा डॉ. आंबेडकर के समग्र साहित्य को आत्मसात करने के कारण उनके द्वारा लिखित प्रत्येक शब्द उनके चेतना संपन्न प्रतिभा का साक्ष्य देता है। असंगघोष ने प्रत्येक कविता मन की गहराई से लिखी है। असंगघोष कविता का सृजन किसी पुरस्कार सम्मान या लालसा के लिए नहीं लिखते। अपने मन में समाज के प्रति जो बेचैनी है, छटपटाहट है उसे चेतना के रुप में अभिव्यक्ति के द्वार खोलने का उपक्रम मात्र है। उनका भोगा हुआ यथार्थ अत्यंत वेदना दायक है। उन्हें समाज के मानसिकता की अच्छी पहचान है। असंगघोष की कविता मात्र दलित चेतना की कविता नहीं वरन् वह बौद्ध दर्शन, संत कबीर, डॉ. आंबेडकर के विचारों के प्रति बेशक प्रतिबद्धता को दर्शाती कविता है ।

संगमनेर महाविद्यालय के सामने
शारदा बेकरी के पीछे, निर्मल नगर
संगमनेर, तहसी–संगमनेर,
जिला–अहमदनगर–422605 (महाराष्ट्र)
मोबा. 9404051942

संदर्भ

1. असंगघोष – अब मैं साँस ले रहा हूँ . पृ. 47
2. ————————वहीं —————————— पृ. 48
3. ————————वहीं —————————— पृ. 88
4. ————————वहीं —————————— पृ. 68
5. ————————वहीं —————————— पृ. 35
6. ————————वहीं —————————— पृ. 100
7. ————————वहीं —————————— पृ. 61

दलितों की शैक्षिक–आर्थिक समस्याएँ और दलित जीवन में परिवर्तन

– डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले

प्रस्तावना – भारत में लगभग 5000 वर्षों से जाति और जाति व्यवस्था का उदय हुआ है। इस प्रणाली में, दलितों पर कई प्रतिबंध और अयोग्यताएं लगाई गई। उन्हें जीने के लिए आवश्यक बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। परिणामस्वरूप, दलित अविकसित या पिछड़े रह गए। इससे उनके जीवन में कई सवाल उठे।

दलितों के शैक्षिक और आर्थिक आधार :

दलितों के निम्नलिखित मुख्य शैक्षिक समस्याएँ इस प्रकार हैं :–

1) निरक्षरता : दलितों की निरक्षरता दर बढ़ी है। 1991 की जनगणना अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 62.52% और 70.4% निरक्षर थे। दलितों को पारंपरिक रूप से हजारों वर्षों से शिक्षा से रोक दिया गया था। इसलिए, दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका। इसलिए, आज शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के बावजूद, प्रेरणा की कमी के कारण कई दलित शिक्षा से दूर रहते हैं। दलितों में निरक्षरता का एक अन्य कारण उनकी व्यापक गरीबी है।

2) स्कूल छोड़ने का मुद्दा : उच्च जातियों के छात्रों की तुलना में दलित छात्रों के स्कूल छोड़ने की अधिक संभावना है। शिक्षा के प्रति उदासीनता, माता–पिता की गरीबी, शैक्षिक सुविधाओं की अपर्याप्तता, स्कूल और कॉलेज से दूरी आदि परिवेश इसके लिए जिम्मेदार हैं।

3) आरक्षण का उन्मूलन : दलितों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (आरक्षित सीटें) दी जाती है। लेकिन कई शिक्षण संस्थानों में जान–बूझकर आरक्षण से परहेज किया जाता है। खुली श्रेणी के छात्रों को आरक्षण सीट पर इस आधार पर प्रवेश दिया जाता है कि पर्याप्त छात्र उपलब्ध नहीं हैं। दलित छात्रों को आरक्षण के प्रावधान में खामी बनाकर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है।

4) वित्तीय साधनों से परे उच्च शिक्षा : दलितों की एक और महत्वपूर्ण शैक्षिक समस्या यह है कि उच्च शिक्षा उनके वित्तीय साधनों से परे हो गई हैं। हाल ही में, उच्च शिक्षा विशेष रूप से पेशेवर शाखाओं जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। शिक्षा शुल्क और शैक्षिक सामग्री की लागत बढ़ रही है।

5) भेद–भाव पूर्ण व्यवहार : कई दलित छात्रों के साथ स्कूलों और कॉलेजों में पक्षपातपूर्ण (भेदभावपूर्ण) व्यवहार किया जाता है। अधिकांश शिक्षण संस्थान इन उच्च जातियों द्वारा चलाए जाते हैं और अधिकांश कर्मचारी उच्च जाति के हैं। यह समूह दलित छात्रों के साथ कट्टरता और अवमानना व्यवहार करता है।

आर्थिक समस्याएँ :

दलितों की आर्थिक समस्याएँ बहुत ही चिंताजनक हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ इस प्रकार हैं :–

1) भूमिहीन : कृषि प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज का मुख्य व्यवसाय रहा है। लेकिन, अधिकांश दलितों के पास अपना खेत नहीं है। वे भूमिहीन हैं। पारंपरिक भारतीय समाज में, दलितों को पारंपरिक रूप से भूमि और अन्य प्रकार की संपत्ति के मालिक होने से रोक दिया गया था।

2) कम मजदूरी की समस्या : खेतिहर मजदूरों को औद्योगिक और वाणिज्यिक मजदूरों से कम मजदूरी मिलती है। जो मिलता है वह समय पर नहीं मिलता। न्यूनतम मजदूरी कानून के बावजूद उन्हें इस कानून के तहत भुगतान नहीं किया जाता है। महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों की तुलना कम वेतन दिया जाता है।

3) पारंपरिक व्यवसायों को नष्ट कर दिया : पारंपरिक भारतीय समाज में, कई दलित जातियां बालूता व्यवस्था में गैर–कृषि व्यवसायों में लगी हुई थीं। उदाहरण चम्हार जाति का चमड़ा उद्योग, तो उसने रस्सियाँ बनाना शुरू कर दिया। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में इन दलित जातियों का व्यवसाय नष्ट हो गया। इस जाति के लोगों की एक बड़ी संख्या बेकार हो गयी।

4) व्यवसाय स्वतंत्रता उपभोग की समस्या : पारंपरिक व्यवसाय बस अनुत्पादक था। उसमें उन्हें अनाकर्षक माना जाता था। दलित उनके लिए गतिशीलता पैदा नहीं कर सके। स्वतंत्रता ने अन्य भारतीयों की तरह स्वतंत्रता दी है। हालाँकि, यह स्वतंत्रता उनके लिए पर्याप्त नहीं है।

5) गरीबी : कई दलित भूमिहीनता, कम मजदूरी,

पारंपरिकता, गतिशीलता आदि के कारण गरीबी की समस्या से पीड़ित हैं। अधिकांश दलित गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, वे अपनी बुनियादी जरूरतों को भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

6) ऋणग्रस्तता : बेरोजगारी और गरीबी के कारण, कई दलितों को अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, जिसे वे निजी साहूकारों से ब्याज दरों पर लेते हैं, जिससे उनके कर्ज का बोझ बढ़ जाता है।

7) नौकरियों में आरक्षण का उन्मूलन : दलितों को आजादी के बाद सरकारी और अर्ध–सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है लेकिन सरकार को आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने में काफी समय लग गया। आजादी के बाद पहले 20 से 25 वर्षों में कई क्षेत्रों में आरक्षण नहीं भरा गया । इसलिए आरक्षण का प्रावधान कागजों पर ही रह गया ।

दलितों के आर्थिक और शैक्षिक जीवन में परिवर्तन :

कोई भी समाज स्थिर नहीं होता। उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन लगातार बदल रहा है। यह बदलाव कभी धीमा तो कभी तेज होता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक संविधान बनाया। इस घटना ने सभी भारतीयों को समान माना और सभी को विकास के समान अवसर प्रदान किए। दलितों को संविधान के तहत कई सुविधाएं और रियायतें मिलती हैं इसके अलावा, सरकार ने दलितों और वंचित वर्गों के विकास के लिए कई पहल, कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू की।

दलितों के शैक्षिक जीवन में परिवर्तन :

दलितों के शैक्षिक जीवन में बदलाव लाने वाले कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं :–

1) शिक्षा तक पहुंच : पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की तरह दलितों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। इसलिए दलित अनपढ़ देहाती बने रहे। समाज सुधारकों ने दलितों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कूलों की शुरुआत की। समाज सुधारकों और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी दलितों में जागरूकता पैदा करने का काम किया ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। नतीजा यह हुआ कि हजारों साल से बंद पड़े शिक्षा के दरवाजे दलितों के लिए खुल गए।

2) संविधान में शैक्षिक प्रावधान : आजादी के बाद देश ने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के पास शेर का हिस्सा था। तदनुसार, उन्होंने संविधान में सभी को समान अधिकार देने का प्रावधान किया। उन्होंने दलितों सहित सभी वंचित वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान भी किए।

3) शैक्षिक सुविधाएं : चूंकि संविधान ने दलितों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर रखी है, सरकार ने दलितों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में दलित छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कीं, और उन्हें प्रतिशत में रियायतें भी दीं।

दलितों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन :

दलितों के आर्थिक जीवन में बदलाव लानेवाले कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं :–

1) व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता : भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, एक व्यक्ति को किसी भी पेशे, व्यापार और व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है। इसलिए दलितों ने भी अपनी पसंद का धंधा करना शुरू कर दिया है। उन पर जाति का धंधा करने की कोई बाध्यता नहीं है। दलितों ने आवश्यक शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के साथ अपने मनचाहे पेशे को चुनना शुरू कर दिया है।

2) आर्थिक स्थिति में सुधार : दलितों की आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी है। समान शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाकर दलितों ने सरकारी अर्ध–सरकारी सेवा में वेतनभोगी सेवक के रूप में प्रवेश किया है। निश्चित वेतन से दलितों की आर्थिक स्थिति

में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

3) उपभोग के तरीके में बदलाव : उपभोग के तरीके पर जाति का प्रभाव पड़ा। कैसे कपड़े पहने, क्या पहनें, कौन से गहने इस्तेमाल करें, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करें, अपने घरों को कहाँ और कैसे देखें, पानी कहाँ से भरें, इस बारे में दलितों के सख्त नियम थे और दलितों को उनका पालन करना पड़ता था। आज इन नियमों को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

4) आर्थिक कल्याण के लिए योजनाएँ : दलितों की आर्थिक समस्याएँ गंभीर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की गई हैं। भूमिहीन दलितों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना, उनकी कृषि का विकास करना, सरकार की सब्सिडी से व्यवसाय शुरू करना। क्रेडिट दिया जा रहा है।

इस प्रकार, दलितों के शैक्षिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। हालाँकि, उच्च जातियों की तुलना में दलितों में शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। गांवों में अभी तक गरीब दलितों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। कई दलित बच्चे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। बहुत कम दलित छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।

– डॉ. प्रताप जगन्नाथ फलफले
सं.न.कला, दा. ज. मालपाणी कॉमर्स
एवं ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय,
संगमनेर जि. अहमदनगर–422605 (महाराष्ट्र)
मोबा. 9422326349

संदर्भ सूची :

1) अरुण पौडमल (2012) 'सामाजिक वंचितता व सामाजिक समावेशन' दूर शिक्षण केंद्र, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर।

2) टी. एस. कांबळे (2010) : भारतातील सामाजिक चळवळींची रूपरेषा, क्रिएटिव टी. एस. कांबळे प्रकाशन, नांदेड।

3) आचार्य केशव (2011) : जाती निर्मूलनाची दिशा, निहारा प्रकाशन, पुणे।

4) चव्हाण रा. ना. (2012) : 'डा. बाबासाहेब आंबेडकर व दलित चळवळ, श्री. रमेश चव्हाण, पुणे।

5) चंद्रकांत खंडागळे (2005) : ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकाशिका मायादेवी खंडागळे, सांगली।

6) एम. जी. कुलकर्णी (1975) : भारतीय समाजव्यवस्था, परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद।

7) खरात शंकरराव (2010) : दलितांचे शिक्षणश, इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे ।

8) खरात शंकरराव (2009) : अस्पृस्यांचा मुक्तीसंग्राम, इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे।

9) पाटील वा. भा. (2014) रू श्महाराष्ट्रातील चळवळी (सामाजिक व राजकीय), प्रशांत प्रकाशन.

10) थोरात सुखदेव (2012) : दलित निरंतर विषमता आणि दारिर्द्य, सुगावा प्रकाशन।

भारतीय महिला क्रांति के मसीहा : डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर

– डॉ. वसंत आबासाहेब खरात

प्रस्तावना :

प्राचीन काल से आधुनिक काल यानि वर्तमान समय तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है। पुरुष की उदण्डता, उच्छृंखलता और अहम् के कारण या स्त्री की अशिक्षा, विनम्रता और स्त्री सुलभ उदारता के कारण उसे प्रताड़ित, अपमानित और उपेक्षित होना पड़ा। भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को अनेक वैधानिक प्रयत्नों के बावजूद समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। घर–परिवार, कार्य की दशाओं, दैनिक मजदूरी इत्यादि के अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता।

आधुनिक युग में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर समाज सुधारकों तथा साहित्यकारों ने ध्यान दिया और उनकी दशा सुधारने के प्रयास किये। अनेक समाज सुधारकों ने उनकी दशा सुधारने के लिए सकारात्मक

प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने स्त्री–शिक्षा पर बल दिया, बाल–विवाह के विरूद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती–प्रथा बंद कराने के लिए संघर्ष किया। म. फुले ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। डॉ बाबासाहेब आंबेड़कर संभवतः प्रथम ऐसे भारतीय सामाजिक चिंतक हुए, जिन्होंने महिलाओं की समस्या को लिंग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। उनके नारीवादी दृष्टिकोण के केंद्र में भारतीय समाज की सभी महिलाएं थीं। डॉ आंबेड़कर के भारतीय नारीवादी दृष्टिकोण की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं ही थीं। जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही हैं।

डॉ बाबासाहेब आंबेड़कर : स्त्री–पुरुष समानता के दूत

डॉ. बाबासाहेब ने महिलाओं को जाति, धर्म और लिंग के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंनें महिलाओं को लेकर अपनी रेडिकल विचारधारा से उस समय के सभी विचारकों को चकित कर डाला। सबसे जरूरी बात ये है कि इन्होंने अपनी विचारधारा को बातों में नहीं रखा, उसे जमीनी स्तर पर लाने की पूरी कोशिश की। महिला सशक्तिकरण को लेकर डॉ. आंबेड़कर की जुनूनी लड़ाई की शुरूआत साल 1942 में शोषित वर्ग की महिलाओं के एक सम्मेलन में देखने को मिली थी, जब उन्होंने कहा था, 'किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से आंकी जाती है।' उनके यही शब्द उन्हें नारीवाद का एक बड़ा नेता मानते है, जिसने जाति समस्या और महिला के अधिकारों को एक करके देखा। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति इसलिए बदहाल है क्योंकि वे सब जाति –प्रथा के जाल में फंसी हुई है। भारत सामाजिक व्यवस्था के तौर पर पितृसत्तात्मक है। महिला का स्थान पुरूष से नीचे हैं। बेटियों को हीन नजर से देखा जाता है। हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को हीन नजर से देखा और प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति जैसी किताबों में महिलाओं को नीचे दर्जे का दिखाया गया है व सभी अधिकारों से वंचित किया गया। डॉ. आंबेड़कर ने महिला सशक्तीकरण के रूप में प्राचीन 'मनुस्मृति' का दहन किया। वह केवल उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर बेजोड़ मिसाल कायम की, जब यह बिल संसद में पेश किया गया तब इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया।

'मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए डॉ बाबासाहेब आंबेड़कर कितने गंभीर थे ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है। भारत में जब नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त डॉ. आंबेड़कर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं।

नारी शिक्षा अधिकार (Women's Education Rights) :

वे कहते हैं कि 'शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा बेकार है और महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन अधूरा है।' इनका मानना कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब वे पढ़ी–लिखी होंगी इसलिए डॉ. बाबासाहेब चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ पढ़ाया जाए। डॉ. आंबेड़कर शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ–साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत जरूरी मानते थे। 1913 में न्यूयार्क में एक भाषण देते उन्होंने कहा था 'मां–बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। मां बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। डॉ. आंबेड़कर का ये कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं।

भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को डॉ. आंबेड़कर ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने–लिखने की आजादी के लिए खूब प्रयास किए। मनु स्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की तरह उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया लेकिन उन्होंनें महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया।

गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी (Maternity leave) :

डॉ. आंबेड़कर देश में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ को पहचानने, वकालत करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1929 में उन्हीं के प्रयास से बॉम्बे लेजिस्लेचर महिला कारखाने के वर्कर्स के लिए मातृत्व लाभ (maternity benefit) को शामिल करने वाला पहला लेजिस्लेचर बन गया। इसके बाद 1948 के Employees' State Insurance Act के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत डॉ. आंबेड़कर ने की थी।

लैंगिक समानता (Gender Equality) :

भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद–फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी उन्होंनें कानूनी प्रावधान किए। डॉ. आंबेड़कर ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। डॉ. बाबासाहेब ने संविधान में लिखा कि 'किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है।'

मताधिकार (Suffrage) :

महिलाओं के मताधिकार को लेकर 20 वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए मताधिकार की जबरदस्त मांग उठी लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। अरस्तू से लेकर मनु तक ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना। जब डॉ. बाबासाहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था।

तलाक, संपत्ति और बच्चें गोद लेने का अधिकार (Divorce property and child adoption right) :

महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी डॉ. बाबासाहेब ने ही उन्हें दिलाया। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो पुरुष प्रधान समाज ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति–लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है।

हिंदू कोड बिल :

डॉ. आंबेडकर भारतीय स्त्री खासकर, हिन्दू स्त्री जिसमें सवर्ण तथा दलित दोनों की समाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जो विशुद्ध रूप से उनकी समाजिक, कानूनी स्थिति सुधारने में संजीवनी बूटी की तरह काम करें। इसलिए उन्होंने सौ फीसदी औरतों के हक में 'हिन्दू कोड' बिल बनाया। 'हिंदू कोड बिल' के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का

प्रयास किया। डॉ. आंबेडकर का मानना था की 'सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा।

उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार–समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। लेकिन हिंदू कोड बिल पास ना हो सका और बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में 1955–56 हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को 1. हिंदू विवाह अधिनियम, 2. हिंदू तलाक अधिनियम, 3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 4. हिंदू दत्तकगृहण अधिनियम के रूपः अलग–अलग पास किया गया।

महिला विरोधी कुरूतियों को समाप्त करना (Eliminating antiwomen stereotypes) :

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो डॉ. आंबेड़कर संभवतः पहली शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। उनकी पूरी वैचारिकी के मंथन और दृष्टिकोण में सबसे अहम मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। डॉ. बाबासाहेब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देव दासी प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 20 जनवरी 1942 को डॉ. आंबेड़कर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उन्होंनें महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था महिलाओं में जागृति का अटूट विश्वास है। सामाजिक कुरीतियां नष्ट करने में महिलाओं का बड़ा योगदान हो सकता है।

सारांश :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की स्थिति और दशा में बदलाव आया। भारतीय संविधान के अनुसार उसे पुरुष के समकक्ष अधिकार प्राप्त हुए। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए स्त्रियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हुई। कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं रहा । ज्ञान, विज्ञानं, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने का भी साहस स्त्री करने लगी है। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी स्त्री ने सुशोभित किया। मगर अभी भी पूरे देश में स्त्रियों में वो जागरूकता नहीं आई है कि वो कानून से मिले अधिकारों से अपने साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाये। ज्यादातर स्त्रियाँ अपने परिवार और समाज के खिलाफ कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पातीं। आज भी स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग अपने कानूनी अधिकारों से भी अनभिज्ञ है और जो वर्ग आवाज उठाने की हिम्मत करता है उन्हें भी बहरे और अंधे कानून से उचित न्याय नहीं मिल पाता।

– डॉ. वसंत आबासाहेब खरात,
राजनीति विज्ञान विभाग,
संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य तथा ब.ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय,
(स्वायत्त) संगमनेर–422605 (महाराष्ट्र)
मोबा. 9850060645

संदर्भ :

1. डॉ. कसबे राव साहेब, डॉ आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 2017
2. डॉ. जाधव नरेंद्र, बोल महामानवाचे, (अनुवाद आणि संपादन) खंड–एक, ग्रंथाली प्रकाशन, 2012
3. रमेश पतंगे, सामाजिक न्याय आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदुस्थान प्रकाशन, एप्रिल 2015
4. डोळस अविनाश, आंबेडकरी चळवळ आणि परिवर्तनाचे संदर्भ, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 1995
5. मंजू सुमन, दलित महिलाएँ, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, 2004
6. कुसुम मेघवाल, हिंदू कोड बिल और डॉ आंबेड़कर, तेज सिंह (संपा) अंबेडकरवादी विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, 2008
7. Sharma Krishna Prasad] 'Indian Women: Marriage] Divorce and Adjustment', Classical Publishing Company-
8. Jain Shashi "Status and Role Perception of Middle Class Women"] Puja Publishers" New Delhi, 1988
9. Vataskar padma : education for liberation Ambedkar's thought and Dalit women's perspective, containporary Dialouge, saqe publication, New Delhi 2012

21वीं सदी में भारतीय राजनीति में महिलाओं के समक्ष बाधक परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

– कु. निशा गौतम (शोधार्थी) – डॉ. तारिक अनवर

सारांश : कहने को हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच भारी असमानता है। आज भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, घर से लेकर कार्यस्थल तक उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हमारे समाज में प्रमुख रूप से पुरुष सदस्यों और पेशेवरों का वर्चस्व है। महिलाओं से अभी भी घरेलू कार्यों की देखभाल की उम्मीद की जाती है, जबकि इस बदलते परिवेश में महिलाओं ने यह साबित कर दिया है यदि उन्हें उचित अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो वह पुरुषों से कम नहीं। ऐसे क्या कारण है जो आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने से रोकते हैं। उन्हीं का अध्ययन करने की कोशिश इस शोध पत्र के माध्यम से की गई है क्योंकि समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीति में कम क्यों हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो आज भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकती हैं।

संकेत शब्द : सशक्तिकरण, दोयम दर्जे, वर्चस्व, परिवेश, पुरुष प्रधान, पेशेवर, दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभाव, संघर्ष, संवैधानिक।

प्रस्तावना : भारत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अनुभूति के प्रथम सोपान पर खड़ा है इसने अपना लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और अब उसे अपनी महत्ता की परिधि विकसित करनी है और उस सीमा को पार करना है जिसे अभी तक संसार का सर्वोत्तम देश भी छू नहीं सका है। लेकिन जब तक हमें सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति नहीं मिलती हैं तब तक राजनीतिक स्वाधीनता अधूरी है।

धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास एवं भ्रष्टाचारी जहर ने भारतीय समाज एवं विशेष कर नारी को अति क्षति पहुंचाई हैं और वर्तमान में भी नारी के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार हो रहा है। मंदिर और मस्जिद, साधु और संन्यासी, पुजारी और पुरातनवादी इस रूढ़िवाद के अत्यधिक प्रभावशाली स्तंभ हैं इस समय भारत मैं प्राचीनतावादी और आधुनिकतावादी विचारधाराओं के बीच एक तीव्र संघर्ष चल रहा है इस संघर्ष से भारतीय समाज में प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो गया है जो नारी के साथ सदियों से होते आए अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध हैं और इसके कारणों को खोज कर भारतीय समाज को गतिमान बनाना चाहता है। अगर देखा जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है उसका अपना एक विशाल एवं निष्पक्ष संवैधानिक दस्तावेज है, जिस पर सभी देश के नागरिकों को गर्व है क्योंकि भारतीय संविधान में सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है फिर वह स्त्री हो या पुरुष या अन्य कोई और हमारा संविधान सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है वह जाति, धर्म, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करता महिला एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार प्रदान करता है, परंतु इसके बाद भी भारतीय समाज में ऐसी मान्यता व्यापक है स्त्री– पुरुष में आज भी 36 का आंकड़ा है। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो स्त्री प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है भारत में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आज तक भी महिला प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाई जैसे :

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आदि पुरुषों की तुलना में राजनीति में इतनी महिलाएं कम सक्रिय हैं कि उन्हें आसानी से उंगलियों पर गिना जा सकता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक महिला एवं पुरुषों में असमानता ही बनी रही है परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह कौन से कारक है जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से रोकते हैं उनका वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं।

महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों का असहयोग या उदासीनता : भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है, कि आज तक भी महिलाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर उन्हें राजनीतिक दलों से बहुत कम सहयोग प्राप्त हुआ है। राजनीतिक दल महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रश्न पर मौन हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला आरक्षण विधेयक जो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान करता है इसे पारित कराने में राजनीतिक दलों का रुख अधिक निराशाजनक रहा है। 1994 से यह बिल प्रस्तावित है परंतु आज तक भी बिल पारित नहीं हो सका है इसके साथ ही पुरुष राजनीति को अपने विशेष अधिकारों की कम या समाप्त हो जाने का भय होता है जिससे वे महिलाओं आरक्षण बिल को लेकर उत्साह नहीं दिखाते इस बात से यह पता चलता है कि यह पितृसत्तात्मक सोच वाला समाज महिलाओं को बराबर का अधिकार प्रदान करना ही नहीं चाहता उसको भय है कि कहीं महिला भागीदारी अगर राजनीति में प्रवेश कर जाती है तो हमारा वर्चस्व कम न हो जाए।

पुरुष वर्चस्ववादी राजनीति : भारत एक लोकतांत्रिक देश है उसकी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति है जिस पर सभी को गर्व है। देख कर तो लगता है कि सभी समानता के साथ रहते हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु जब यह बात स्त्रियों के संदर्भ में आती है तो इसका अर्थ बदल जाता है। भारत प्राचीन काल से ही स्त्रियों का शोषण करता आया है उसे आर्थिक रूप से कमजोर बनाकर हर क्षेत्र में कमजोर कर दिया है इससे राजनीतिक क्षेत्र भी छूट नहीं पाया समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के बाद भी पुरुषों की तुलना में महिला भागीदारी कम ही है। लोकनीति सी.एस.डी.एस. (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी) और कोनराड ऐडनायर स्क्विटेग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जिसमें महिलाओं के राजनीति में भागीदारी से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया इस सर्वेक्षण से यह जानकारी प्राप्त हुई कि महिला भागीदारी में सबसे बड़ा बाधक तत्व इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है। पुरुष आधिपत्य से महिलाओं को राजनीति में अवसर नहीं मिलता इसी प्रकार महिलाएं कहती हैं, कि उन्हें घरों से राजनीतिक निर्णय लेने में कम छूट प्राप्त होती है तो राजनीति जैसी क्षेत्र में उन्हें मौका कैसे मिलेगा।

आर्थिक समस्याएं : भारतीय नारियों की समस्याएं उनकी गरीबी, आर्थिक परआश्रिता एवं शोषण से जुड़ी है। अधिकांश महिलाएं कृषि कार्य से संबंधित हैं इसके अतिरिक्त वे खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में लगी हुई हैं। उच्च पदों पर आसीन महिलाएं तो गिनती की हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, पुरुषों पर निर्भरता, अज्ञानता, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र ही सीमित है और वे अक्सर कमाने के लिए बाहर नहीं जाती फलस्वरूप उन्हें अपने भरण–पोषण तक के लिए पुरुषों की ओर देखना होता है।

विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व की कमी : पूरे भारत में विभिन्न विधायिकी कार्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। IPU अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर था जिसका नकारात्मक प्रभाव गरीब एवं मध्यवर्गीय महिलाओं पर

पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है जब राजनीति में सक्रिय महिलाएं ही अपना प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा पा रही तो हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते।

सामाजिक बंधन एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रभाव : भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं होती है ऐसे में महिलाओं की बात की जाए तो इस समाज के ताने–बाने, रीति–रिवाजों से जकड़ी रहती हैं। उन्हें स्वयं निर्णय लेने की अनुमति अधिकांश नहीं होती तो ऐसे माहौल में राजनीति में जाने का ख्याल उनके दिल, दिमाग में नहीं आता। अतःस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आज भी ऐसे अनेक कारण है जो महिला एवं पुरुषों को एक अवसर देने में बाधा उत्पन्न करते हैं समान अधिकार प्राप्त होने के बाद भी असमानता प्रकट करते हैं। महिलाओं की क्षमता एवं शक्ति में कोई कमी नहीं है इतिहास के पन्नों को उठाकर देखने पर गर्व होता है कि भारत में कितनी बल, बुद्धि, शक्ति संपन्न महिलाएं थी और हैं परंतु अवसरों की कमी के कारण वह देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे पा रही उनको वह सब करने का मौका नहीं मिल रहा जिसकी वे हकदार हैं।

निष्कर्ष : आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भलीभांति परिचित हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर आजाद भारत में सरकार चलाने तक महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और पहल अहम रही है इसके बावजूद जो राजनीति में महिला भागीदारी की बात आती है तो आंकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, इसका प्रमुख कारण है ऐसी असमानता, असहयोग की भावना पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के प्रति उदासीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं शिक्षा से वंचित रहती हैं महिलाएं आज भी समाज के रीति–रिवाजों में जकड़ी पड़ी है, पूर्ण शिक्षा का अभाव है, आर्थिक रूप से अभी पुरुषों पर ही निर्भर हैं, जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा उन्हें पूर्ण शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में भी सुधार नहीं होगा और रूढ़िवादी विचारधारा से विलुप्त रहेंगे।

कु. निशा गौतम, शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
बेसवान अलीगढ़ (उ.प्र.)
मोबा. 6395342151

डॉ. तारिक अनवर एसोसिएट
प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग
मंगलायतन विश्वविद्यालय
बेसवान अलीगढ़ (उ.प्र.)
मो. 8178502756

संदर्भ :

1 मीनाक्षी मुखर्जी : रियलिटी एंड रियलिज्म इंडियन विमेन एज प्रोटीन अनिष्ट इनफॉर नाइटीसेंचुरी नोवेल्स इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली 1884

2 राम आहूजा : भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2002

3 सुधीर श्रीवास्तव : विमेन एंपावरमेंट, टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन, नई दिल्ली 1985

4 दीपा माथुर : विमेन फैमिली एंड वर्क, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 1992

5 सोरन सिंह : शेड्यूल कास्ट इन इंडिया एंड डायमेंशन ऑफ चेंज, ज्ञान पब्लिकेशन नई दिल्ली 1997

6 प्रतिमा कपूर : द स्टडी ऑफ एडजेस्टमेंट ऑफ वर्किंग विमेन इन इंडिया, आगरा पब्लिकेशन 1986

7 विपिन चंद्र पाल : भारतीय संविधान अनुच्छेद 14

8 कमलेश कुमार गुप्ता : महिला सशक्तिकरण बुक एन कलेव जयपुर।

9 डॉ राजकुमार : नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस 2005

महात्मा गाँधी जी और नारी उत्थान

– राजीव गुप्ता (शोधार्थी) इतिहास

संघर्ष के इतिहास में दीर्घकालीन अवधि तक चलने वाला संघर्ष नारियों का रहा है। नारीवादी चिंतकों का प्रायः ऐसा मानना है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपने वश में रखने के लिए तरह–तरह के नियमों की रचना की तथा अपने पक्षपाती व्यवहार के कारण उनकी क्षमताओं को हमेशा से ही कमतर आंका। पुरुषों द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण नियमों की बेड़ियों को तोड़कर अपने मान–सम्मान, प्रतिनिधित्व तथा बराबरी के अधिकार को पाने के लिए नारी को अनवरत संघर्षरत रहना पड़ा है। अपने मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर महात्मा गाँधी जी ने महिलाओं की इस व्यथा को समझा और सहजता से उन्हें समाज में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान किया।

गाँधीजी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए अवसर का महिलाओं ने पूरा लाभ उठाया तथा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए पुरुषों के बराबर अपना योगदान देकर स्वयं की क्षमताओं को साबित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भूमिका की इतनी गहरी लकीर खींची जिसे मिटा पाना किसी भी इतिहासकार के लिए संभव नही है। गाँधी जी की प्रेरणा और उनके इस सतत् सकारात्मक संघर्ष का ही परिणाम है कि स्वतंत्र भारत में वें अब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक के संवैधानिक पद को सुशोभित कर चुकी हैं या कर रही हैं। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर वें वैज्ञानिक शोध कार्यों के साथ–साथ भारत की तीनों सेनाओं समेत लगभग सभी क्षेत्रों में आज अपनी सेवाएं दे रहीं हैं। परिणामतः पद्मश्री से लेकर भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी हो चुकी हैं। आज कई राजनीतिक पार्टियों की वें अध्यक्षा है तथा भारतीय संसद से लेकर सरकारी सेवाओं तक में उनका प्रतिनिधित्व है एवं उनके लिए अलग से भारत सरकार के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यरत है।

यह भी एक यथार्थ ही है कि आज स्त्री जाति द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए जा रहे संघर्ष, आधुनिक राष्ट्र–राज्य की ही देन है। राष्ट्र–राज्य की प्रारंभिक संकल्पना में स्त्रियों की स्थिति में किए गए विभिन्न सुधारों को पहले सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। इस दौरान न तो सरकार के विभिन्न स्तरों में उन्हें कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त था और न ही उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया था। हालांकि संभ्रांत परिवारों की महिलाओं को शिक्षित करने से उनके बौद्धिक स्तर में जरूर कुछ सुधार हुआ लेकिन सन् 1700 तक न तो उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता था और न ही उन्हें समान काम करने की समान मजदूरी दी जाती थी। साथ ही इस समय तक महिलाओं का भविष्य उनके विवाह–बंधन में ही सुरक्षित माना जाता था और उसके पति के जीवन के साथ ही उस विवाहित स्त्री का भी अस्तित्व था। ध्यान देने योग्य है कि इस समय तक स्त्री अपने बच्चे को तो जन्म दे सकती थी लेकिन उसका अपने बच्चे पर भी कोई कानूनी अधिकार नही था, जबकि अपने बच्चे के पालन–पोषण में उसकी ही प्रमुख भूमिका होती थी। तलाक देने का भी अधिकार स्त्रियों की बजाय पुरुषों के पास ही था। अपनी इस प्रकार की दकियानूसी सोच के कारण ही पुरुषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हुए उसे अपने से हमेशा कमतर आंका।[1]

गाँधी जी न्याय और समानता पर आधारित भारतीय समाज की कल्पना करते थे, जिसे वे रामराज की अपनी संकल्पना से जोड़कर देखते हैं। इसी संदर्भ में हमें आधी आबादी को भी देखना चाहिए, जिसे गाँधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों की सूची में शामिल किया। गाँधी जी कहते थे कि पुरातनपंथी तथा

दकियानूसी सोच से प्रभावित जिस कानून को बनाने में स्त्री जाति की कोई भूमिका नहीं थी और जिसके लिए मात्र पुरुष ही जिम्मेदार थे, उन कानूनों एवं अपने दकियानूसी मानसिकता के कारण पुरुषों ने स्त्री जाति पर तरह–तरह का अत्याचार कर उसकी क्षमताओं को हमेशा कमतर ही आंका है। सत्य और अहिंसा पर केन्द्रित रचे गए भविष्य के जीवन की योजना बनाने में जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार स्त्री जाति का भी है। किसी भी स्वस्थ मानव समाज के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक–दूसरे के पूरक होते हैं इसलिए उन दोनों को ही अपने सामाजिक आचार–व्यवहार के नियमों और योजनाओं को साथ में मिलकर बनाना चाहिए क्योंकि उन दोनों के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कोई भी बाहरी सत्ता नही करवा सकती है।[2]

सामान्य पुरुषों की सोच के विपरीत गाँधी जी अपने निजी जीवन में भी अपनी पत्नी तक पर अपना विचार नही थोपते थे और न ही वे अपने विचारों को मानने के लिए अपनी पत्नी को बाध्य करते थे अपितु गाँधी जी कस्तूरबा की राय की कद्र करते थे और उनके स्वतंत्र निर्णय के मर्यादा की रक्षा भी।[3] कस्तूरबा के बीमार होने पर गाँधी जी उनके पास गए और मांसाहार सेवन के संबंध में उनसे बात करते हुए उनसे स्पष्ट रूप से कहा, "तुम मेरे विचारों का अनुसरण करने के लिए बँधी हुई नहीं हो।"[4] दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अंतिम चरण में वह अपनी इच्छा से जेल गईं थीं। भारत में भी कई बार सत्याग्रह–आंदोलनों के सिलसिले में जेल गईं और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई।[5] गाँधीजी ने अपने अथक प्रयासों और दूरदृष्टि से सहजतापूर्वक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का भागीदार बना दिया। यह बात गाँधी जी के आश्रम पर लागू थी। गाँधी जी के आश्रम का सबसे मुश्किल कार्य था–भंडारगृह संभालना। आश्रम के उस मुश्किल कार्य को महिलाओं ने ही संभाल रखा था।[6] गाँधी जी की इस दूरदृष्टि पर टिप्पणी करते हुए एक बार न्यायाधीश रानाडे ने कहा था, "हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में स्त्रियों के हित में जितना काम कर पाएँगे, महात्मा गाँधी जी उसे एक दिन में कर देते हैं।"[7] एस. एल. दोषी तथा पी. सी. जैन का कहना है, "महात्मा गाँधी जी के अथक प्रयासों के कारण स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार आया।"[8] विनोबा तो अक्सर कहा करते थे कि स्त्रियों के तीन उद्धारक हुए हैं–भगवान श्रीकृष्ण, भगवान महावीर स्वामी और महात्मा गाँधी जी।[9]

भारतीय शास्त्रों में स्त्री निंदा के सवाल पर गाँधी जी का मानना था कि स्मृतिकारों ने स्त्रियों के संबंध में जो कुछ लिखा है, उसका सर्वथा समर्थन नहीं किया जा सकता है।[10] महात्मा गाँधी जी ने निश्चित तौर पर स्त्री–शक्ति के रूप को उभारा। उनकी नजरों में स्त्री, पुरुष समाज की सहृदयता की भिखारिणी न होकर वह समाज–परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक थी।[11]

इस प्रकार इस शोध के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन कर हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि गाँधी जी के अथक प्रयासों के कारण ही महिलाएँ निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ गई। अपने जीवन–काल में गाँधी जी ने महिलाओं की स्थिति में सहजतापूर्वक सुधार करते गए और समय–समय पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व का अवसर भी उपलब्ध करवाया। परिणामतः भारत की स्त्रियों की स्थिति का धीरे–धीरे उन्नयन हुआ। जिसका परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक धारा में कानूनी रूप से पुरुषों के बराबर हो गयी।[12] हालांकि स्वाधीनता के बाद भारतीय महिलाओं के उन्नयन के लिए सरकार और समाज के स्तर पर बहुत कार्य किया जा चुका है और अभी भी करना बाकी है परंतु फिर भी भारत की अभी यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत की घरेलू कामकाजी महिलाओं के घरेलू कार्यों की गिनती नही की जाती है जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश घरों की महिलाएँ अवैतनिक रूप से अपने घर का सारा कामकाज संभालती हैं परंतु उसकी गिनती न के बराबर होती है क्योंकि पुरुषों द्वारा उन्हें

अभी भी अपेक्षाकृत कमतर ही आंका जाता है। लेकिन यदि अपने–अपने घर में काम करने वाली महिलाओं के कामकाज का आर्थिक आधार पर मूल्यांकन कर उसे सकल घरेलू उत्पादन में शामिल कर लिया जाए तो भारत का सकल घरेलू उत्पादन इकाई के अंक को पार कर जाएगा ।

– राजीव गुप्ता
शोधार्थी – इतिहास,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
मोबा. 98115 58925

संदर्भ :

1. गोपा जोशी (2011) : भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 3
2. गाँधीजी (2017) : रचनात्मक कार्यक्रम – उसका रहस्य और स्थान, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद, पृ. 29
3. बी. आर. नन्दा (2013) : "अपराजेय आत्मा", महात्मा गाँधी (अनुवादक – श्यामू संन्यासी), सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 281
4. मोहनदास करमचन्द गाँधी (2008), "पत्नी की दृढता", सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा (अनुवादक – काशिनाथ त्रिवेदी), नवजीवन मुद्राणलय, अहमदाबाद, पृ. 295
5. 'बी. आर. नन्दा (2013) : "अपराजेय आत्मा", महात्मा गाँधी (अनुवादक – श्यामू संन्यासी), सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 281
6. नारायण देसाई (2019) : "गाँधी और स्त्रियाँ", मेरे गाँधी, (संपादक– रेमी कुमारी, अनुवादक – राजेन्द्र राजन), प्रकाशन विभाग– भारत सरकार, दिल्ली, पृ. 42
7. सुजाता (2012) : बापू और स्त्री, सर्व सेवा संघ – प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 4
8. एस. एल. दोषी एवं पी. सी. जैन (2014) रू भारतीय समाज – संरचना और परिवर्तन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ. 370
9. 'विनोबा (1999) : "स्त्री शक्ति का हार्द", स्त्री जागरण (संपादन – शीला), परंधाम प्रकाशन, वर्धा, पृ. 3
10. सुजाता (2012) : बापू और स्त्री, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 61
11. गोपा जोशी (2011) रू भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 128
12. एस. एल. दोषी एवं पी. सी. जैन (2014) : भारतीय समाज – संरचना और परिवर्तन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ. 370

Study the Effectiveness of Computer Assisted program of Marathi grammar for B.Ed Teacher Trainees

Prof. Dr. Kailas R.Khonde
Prof. Dr. Kavita M.Ghughuskar

Abstract:

It is necessary for the teachers of education to have a complete communication skill, in which the mother tongue, Marathi teacher's communication, conversation, teaching and all non-teaching matters are especially exemplary. Savitribai Phule Pune University's revised syllabus in the year 2015.in it if given for the study of grammar from school level for the enrichment of the subject. Knowledge can be seen in a very normal form. In the case of spelling, general knowledge of Marathi, the students are found to be very carefree and backward, so these research. students created and compiled a computer aided program for teaching and learning. This program is in the form of PPT presentation and some youtube videos and mobile applications was compiled and given to the students for study. The results were found to be effective and positive.

Key Words : Teacher Trainees,

Marathi Grammar, Computer assisted program.

1. Introduction :

B.Ed. Teachers Educators are using different teaching methods to teach grammar to Marathi trainees. Even though students are using different techniques, some concepts in grammar seem difficult. The subject of Marathi grammar is always difficult and challenging for the students, especially for the development of knowledge, so when it was decided to work on the present subject, it was decided to create a computer aided program for the students, and the results is to be verified.

2. Research Statement :

To study the effectiveness of computer assisted program for the MVP Samaj's Teacher trainees for Marathi Grammar.

3. Explanation of research problem :

In the present situation B.Ed. It is difficult for the trainees to study grammar in their mother tongue Marathi. Trainees have to face many difficulties while studying this subject. Professors need to make an effort to ensure that such difficulties do not arise during the study process. The researcher believes that if a trainee develops a computer-assisted program and uses it in the actual teaching-learning process for the students, the constructive results will be seen.

4. Conceptual Definition :

4.1 College of Education - The college approved by NCTE for pre-service training for secondary level teacher qualification is called College of Education. (Reference: Teacher Education - Kritika, Chincholikar and Ravi Jadhav Page No. 36

4.2 Teacher Trainee - A Teacher Trainee is a student undergoing pre-service training in the College of Education. (Reference: -Teacher-Training, N.R. Parsnis Page No. 128)

4.3 Marathi Grammar - Marathi Grammar is the science that explains the language. (https://mr.m.wikipedia.org/wiki/)

4.4 Teaching-Teaching is not just a collection of knowledge but a discipline that develops students' comprehension and thinking ability.

(https://marathivishwakosh.org)

4.5 Computer Assisted Programs - Computerized and structured programs

used on smart phones, tablets or computers. (Ref: -en Wikipedia.org. Wiki / mobile .app)

4.6 Effectiveness : - Effectiveness is the specific effect shown by the adequacy of the action. (Ref: - Encyclopaedia in Education, Cynthia George, p. No 113)

5. Functional Definition :

5.1 College of Education - The college in which pre-service training is imparted to the graduates of any discipline to become secondary and higher secondary teachers is called the College of Education.

5. 2 Teacher Trainee - Teacher Trainee is a student admitted for B.Ed degree in the College of Education

5.3 Marathi Grammar - All the components of the syllabus from (Total grammar) alphabet to writing in Savitribai Phule Pune University's first year B.Ed course paper No. 106.1 for Teacher Trainee in the College of Education.

5.4 Teaching - The method of instruction is used for the students who have been admitted for B.Ed degree in the College of Education.

5.5 Computer Assisted Programs - B.Ed. Computerized and structured programs used by Teacher Trainee on grammar based smart phones, tablets or computers that students can easily handle.

5.6 Effectiveness - Increase in teaching-learning ability of students due to computer assisted programme for the study of Objectives and Methods of Mother Tongue Marathi Education for B.Ed

6. Research Questions -

1. What are the difficulties faced by Teacher Trainee and teacher Educators in the study of Marathi grammar?

2. Will the study of Marathi grammar be effective if some measures are implemented?

3. Do students use some computer aided programs in the study of Marathi grammar?

7. Research Objectives :

1. To Prepare a computer aided program for the students and teachers of the College of Education to study Marathi grammar.

2. To study the effectiveness of computer aided programs for the study of Marathi grammar to the Teacher Trainee in the College of Education.

8. Assumptions :

1. B.Ed. Trainees have difficulty in studying Marathi grammer.

2. B.Ed. Trainees have difficulty in taking notes in Marathi languadge.

3. B.Ed. Trainees have difficulty in acquiring sufficient knowledge just by reading a sequential book.

9. Hypothesis :

9.1 Research hypothesis

There is significant effect of computer assisted program for the studying Marathi grammar for the Teacher Trainee.

9.2 Null hypothesis

There is no significant effect of computer assisted program for the studying Marathi grammar for the Teacher Trainee.

10. Scope, limitation, scope of research

10. 1 Scope of research

1. The present research is for B.Ed. Teacher Trainee under Savitribai Phule Pune University.

2. Present research is related to the College of Education in Nashik district.

3. The present research is for teacher trainee.

4. The present research deals with the nature, objectives and methods of Marathi Grammar for B.Ed.

10. 2 Limitations of research

1. Present research is limited to the teacher trainees of Adv. Vitthalrao Hande College of Education, Nasik.

2. Present research (Paper No. 106) is limited to the component based on mother tongue Marathi education grammar.

3. This research limited to the teacher trainees of academic year 2020-2021.

10. 3 Delimitations of research

1. This research is limited to Marathi subjects in the College of Education Nashik.

2. This research is presented depending on the elements of Marathi grammar.

3. The research findings presented will be applicable to the students for Marathi subject.

11. Review of related literature and research

For the present research, 2 researchers at M.Ed level, 3 at M.Phil

level and 3 at Ph.D. level were reviewed. 7 books were also reviewed and a total of 15 review of researches and literature were done.

12. Research variables :

1. Independent variables : Computer Assisted Program

2. Dependent variables : Increase in the achievement of teacher trainee of the College of Education using computer asssisted programs for Marathi grammar.

13. Selection of Research method :

The researcher has used experimental method for the present research.

14. Population :

The population of the present research is all 38 student teachers who have Marathi teaching methods in Vitthalrao Hande College of Education.

15. Sample selection :

Sample selection has done a Purposive sampling by Non probability 30 students having Marathi teaching and learning methods in the Adv. Vitthalrao Hande College of Education are selected as sample.

16. Research tools :

In this research, the researcher has used a self prepared questionnaire test by adopting an experimental method.

17. Statistical analysis :

The researcher has used Statistical tools like Percentage, Standard Deviation and T- Test for analysis and interpretation.

18. Analysis of Data :

1. The pre-test mean is 17.93 and post test mean is 22.83.

2. Pre-test mean is 17.93 and post test 22.83. The post test shows an increase in average. This means that computer assisted program prepared by the researcher is suitable for teacher trainees. That is why the researcher has rejected null hypothesis and accepted the research hypotheses.

3. 19. Interpretation of Data :

The mean in the pre-test was 17.93, while the mean in the post test was 22.83. The 't' value is 0.02 for 0.05 level and 2.66 for 0.01 level. The experimental t value is 2.91.

The t value obtained from the research is higher than the table value of 0.05 and 0.02 meaning level, from which we can see that the use of computer aided programs for the study

and teaching of Marathi grammar is effective.

The use of computer aided programs for the study and teaching of Marathi grammar has significantly increased the level of learning marathi grammer of B.Ed teacher trainee.

20) Conclusion : Computer assisted Proramme enhances the learning of Marathi Grammer of B.Ed teacher Trainee.

21) Recommendations :

Recommendations for teachers :

1. B.Ed. Computer Assisted programme should be produced for the trainee to develop interest in the study of Marathi grammar.

2. While teaching the Marathi subject, more and more examples should be given.

3. Implement activities to make the Teacher trainee interested in self-study.

4. Create computer based programs for difficult and complex subjects like grammar.

Recommendations for trainees :

1. Trainees should be made accustomed to self-study.

2. The trainee is the teacher of tomorrow. Trainees should have in-depth knowledge of grammar.

3. Trainees should understand the importance of self-study while using self-study books and make progress by taking guidance from teachers on difficult areas.

Prof. Dr. Kailas R.Khonde
(Asso. Professor)
M.V.P.Samaj, College of Education,
Nashik
Mob. 9579153374

Prof. Dr. Kavita M.Ghughuskar
(Asso. Professor)
M.V.P. Samaj,
College of Education, Nashik

References :

1. Best, J.W.& Kahn J.V. (1998) Research in Education,New Delhi Educational Research and Training.

2. Buch, M.B. (Edutor) (1993) Survey of Educational Research: New Delhi: APH publishing corporation.

3. Garrett H.E. (2005) statistics in psychology and education New Delhi, Paragon international publisher.

4. https://mr.m.wikipedia.org/wiki/

5. https://marathivishwakosh.org

सफर, हमसफर और कसक

जातिवाद की दर्दभरी वेदनाओं से रूबरू करवाता प्रतिरोध का चेतनादायी कहानी संग्रह 'कसक'

समीक्षक : मोहन लाल सोनल,पाली

वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश वाल्मीकि जी के कहानी संग्रह 'कसक' में सदियों से चली आ रही क्रूर जातिवादी व्यवस्था पर गहरी चोट करने का प्रयास किया गया हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, सूरजपाल चौहान की पंगत के साहित्यकार जयप्रकाश वाल्मीकि जी ने स्वानुभूति को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हुए आजादी के पचहत्तर साल बाद भी जाति की कसक के ज्यों का त्यों बने रहने को बहुत मर्मस्पर्शी अंदाज में बयां किया हैं। संग्रह की प्रतिनिधि कहानी 'कसक' में मुन्नालाल थोडा पढ–लिखकर अपना आशियाना अपनी बिरादरी से दूर अन्य शहर में बनाता हैं। लेकिन वहाँ भी जाति उसका पीछा नहीं छोडती। ठाकुर भूपसिंह की माँ के परलोक सिधारने के बाद उसके उपयोग में लाये सामान को उठाये जाने के लिए मुन्नालाल को कहा जाता हैं। मुन्नालाल विनम्रता से इंकार कर देता हैं, तो यह बात ठाकुर भूपसिंह को नागवार गुजरती हैं। ठाकुर, ठकुराइन, पंडिताइन मुन्नालाल के बारे में न जाने क्या क्या ?? अनाप–शनाप बोलते हैं जो सदियों से दलित समाज खासकर हरिजन, भंगी समाज के लिए बोला जाता आया हैं। मुन्नालाल को ताजुब्ब तो तब होता हैं जब उसे मालूम चलता हैं कि जिस सामान को लेने से वह इंकार करता हैं, उसी सामान पर अपना–अपना हक जताने के लिए उसी के समाज के तीन–तीन व्यक्ति आपस में झगड़ पडते हैं। उसके मन की कसक कि मेरा समाज कब सुधरेगा? ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। दूसरी तरफ ठाकुर भूपसिंह के मन की टीस भी कि यह मेरा गाँव नहीं हैं वरना तो मुन्नालाल की क्या मजाल कि वह उसकी स्वर्ग सिधारी माँ का सामान उठाने से इंकार कर दे, बनी रह जाती हैं। कहानी 'ठिकानों के जिजमान' में दलित समाज के आर्थिक बदहाली एवं दुर्दशा की झलक के साथ जिजमान अर्थात ठकुरानी के निर्दयता की पराकाष्ठा भी दिखाई देती हैं। बबलू तथा उसकी जोडायत शांति दोनों के श्रम करने के बाद पूरा महीना काम कर लेने के बाद भी उन्हें उनकी बिटिया के बीमार होने जैसी आफत की स्थिति में भी पैसों के लिए हाथ फैलाकर गिडगिडाना पडता हैं। उनकी अपनी लाडली बिटिया निर्मला के बुखार पीडित होने पर वे दोनों उसके इलाज के लिए पैसे प्राप्त करने के मोहताज रह जाते हैं।

मेरी स्वयं की छोटी कलम से रचित कविता,
'पर्व मेरी आबादी'
की चंद पंक्तिया याद आती हैं....

दीवाली को उनके घर
कहाँ खुशी होती?
बिटिया पीडित ज्वर
बिन औषधि सोती।

दीप जलाते तो भी
अति सहमे सहमें।
हरदम प्रताडना झेल
अनमने रहते थामें।।

यह प्रताडना सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की दी हुई हैं। पैसे न मिलने पर बबलू शहर जाकर अपने साले पूरण के सहयोग से बिटिया का इलाज करा पाने में तो समर्थ हो पाता हैं लेकिन उसका गाँव से मोहभंग हो जाता हैं। वह गाँव छोडकर शहर जाकर बसने की सोचने लगता हैं। 'अहसास' शिक्षा के महत्व को बताती प्रेरणादायी कहानी हैं। कहानी मे किशनाराम एक दलित सफाईकर्मी हैं, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नौकरी पर लगा होता हैं। किशनाराम का

चार–पांच वर्षीय बेटा प्रकाश किशनाराम के सफाई करते वक्त साथ आता हैं, जो अपने छोटे–छोटे हाथों से अपने पिता के काम में हाथ बंटाता हैं। यह सब स्टेशन मास्टर सतीश देखते हैं तो वे किशनाराम को प्रकाश को साथ न लाकर पढाई करवाने की सीख देते हैं। किशनाराम अपने साहब की सलाह मानकर प्रकाश को पढ़ने भेजता हैं। जब प्रकाश मैट्रिक पास कर लेता हैं तो किशनाराम उसे सतीश के पास आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर आता हैं। वहाँ उसे पता चलता हैं कि सतीश जी भी उन्ही की बिरादरी के हैं। सतीश किशनाराम को कहते कि दसवीं से ही काम नहीं चलेगा, इसे आगे भी पढाते रहना। यह सलाह किशनाराम के लिए वरदान साबित होती हैं। वह अपने लडके को अच्छी शिक्षा देकर बैंक मैनेजर के पद तक पहुचांता हैं। प्रकाश अच्छे ओहदे पर तो पहुंचता हैं परन्तु वह अपने समाज के लिए कुछ नहीं करता हैं। तत्पश्चात जब वह अपने लडके लडकी के लिए रिश्ते के लिए समाज में जाता हैं तो उसे उनके योग्य रिश्ते नहीं मिलते हैं। तब उसे अहसास होता हैं कि मैंने जो शिक्षा का लाभ उठाया वह तो जैसे गूंगे ने गुड खाया और उसके मिठास से स्वयं ही आनंदित हो, होता रहा, उसी के समान हैं। अपनी भूल का अहसास होने पर वह अपने ससुर दीनानाथ के सामाजिक आंदोलन में सहभागी बनकर समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाने उतर जाता हैं। निर्मला स्त्री विमर्श की बेजोड कहानी हैं जिसमें स्त्री के त्याग समर्पण के शाश्वत संघर्ष को दिखाया गया हैं। निर्मला के उपर बांझपन का ठप्पा होता हैं जिसे हटाने के लिए निर्मला को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पडता हैं। वह अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए बांझपन के ठप्पे को हटाती हैं।

प्रदीप की चिंता कहानी में बेटे–बेटी को एक समान बताने के साथ समाज में व्याप्त दहेज प्रथा पर गहरी चोट की हैं जयप्रकाश वाल्मीकि जी ने। 'नर्क से मुक्ति' बहुत ही मार्मिक कहानी हैं, जिसमें सीवरेज लाइन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले सफाई कामगार मंगतू का ह्रदय विदारक दृश्य देखने को मिलता हैं। सदियो से इस काम में सिर्फ एक जाति के लोग मरते रहे हैं। सामाजिक सोच की निकृष्टता तो देखिये कि ऐसी दर्दनाक मौत पर भी लोग तरह–तरह की बातें करके मरने वाले को ही कटघरे में रखने से नहीं चूकते। कहानी में प्रकाश बाबू के मार्फत मंगतू के बेटे सुनिल को इस घृणित कार्य से इतर मुर्गी पालन व्यवसाय का प्रशिक्षण दिलवाया जाकर सीवरेज के नर्क से मुक्ति दिलवाकर नवजीवन की शुरुआत करवाना प्रेरणादायक हैं।

'16 नंबर वाले कहानी' में मदनलाल और कांता दोनों नौकरीपेशा होने से कस्बे में रहते हैं। वहाँ सफाई के लिए जो महिला कर्मचारी रतनीबाई नियुक्त होती हैं, उसे जब तक मदनलाल दंपति की जाति का मालूम नहीं होता हैं, तब तक तो वह उनके लिए आदर का भाव रखती हैं। मदनलाल की पत्नि कांता को बीवी जी बीवी जी करती हैं लेकिन ज्योहिं रतनीबाई को मदनलाल के उसकी ही बिरादरी का होने का पता चलता हैं तब रतनीबाई का व्यवहार उनके प्रति एकदम से बदल जाता हैं। वह मदनलाल के घर के आगे की सफाई करने में अरूचि लेने लग जाती हैं। कहानी अपने ही जाति के लोगों का अपने जाति के लोगों के प्रति घृणित सोच वाला नजरिया उद्घाटित करती हैं। 'हरिजन' कहानी दलितों में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दलित स्त्री–विमर्श पर भी संदेश देती हैं। इसी तरह कहानी भैरूजी के थान का सच एवं 'बडा अजीब आदमी था वो' में अंधविश्वास पर चोट की गई हैं। जयप्रकाश वाल्मीकि जी अपनी कहानियों के माध्यम से दलित चेतना में नव संचार भरने जातिवादी व्यवस्था के विरोध में कलम के सिपाही बनकर खडे नजर आते हैं। कहानी संग्रह 'कसक' के लिए लेखक जयप्रकाश वाल्मीकि जी एवं प्रकाशक कलमकार पब्लिशर्स को बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

पुस्तक प्राप्त करने के लिए
'कसक' (कहानी संग्रह)
कलमकार पब्लिशर्स (प्रकाशक) –9310562856
जय प्रकाश वाल्मीकि – (लेखक)8559841747

राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

बाये से टस्टी अमरसिंह गोहिल, मैनेजिंग टस्टी गोपाल भाई धानका, पद्मश्री प्रवीण भाई दर्जी व संस्था प्राचार्य डॉ. पारुल सिंह

बाये से डॉ. अभय परमार, डॉ. हरीश मंगलम्, डॉ. धीरज भाई वणकर, डॉ. गायत्री लालवानी, डॉ. तारा परमार, डॉ. रतीलाल रोहित, डॉ. पारुल सिंह एवं डॉ. कान्ति मालसत्तर

दाहोद, हिंदी साहित्य अकादमी, गांधीनगर और श्रीकृष्ण प्रणामी आर्ट्स कॉलेज, दाहोद के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 04/02/2023 को "आजादी का अमृत महोत्सव और दलित साहित्य" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गोपालभाई धानका ने शुभारम्भ अपने आशीर्वचन से किया। प्रसिद्ध साहित्यकार 'पद्मश्री' प्रवीण दर्जी ने बीजरूप भाषण से सभी का मार्गदर्शन किया। डॉ. तारा परमार, संपादक "आश्वस्त" पत्रिका, मध्य प्रदेश के उज्जैन से पधारी थी और उन्होंने "दलित साहित्य समस्याएं, चुनौतियाँ और समाधान" विषय पर प्रकाश डाला । डॉ. कांति मालसतर, अध्यक्ष, गुजराती विभाग, भाषा भवन, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ने "दलित साहित्य की पृष्ठभूमि" विषय पर व्याख्यान दिया।

"सामाजिक परिवर्तन में दलित साहित्य की भूमिका" विषय पर डॉ. अभय परमार, प्राचार्य, आदिवासी आर्ट्स कॉलेज, संतरामपुर ने विचार व्यक्त किये । प्रख्यात साहित्यकारडॉ. हरीश मंगलम अहमदाबाद ने "दलित साहित्यिक शोध सम्भावनाएं" विषय पर प्रकाश डाला और सभागार में सभी को दलित साहित्य में शोध के नए विषयों से अवगत कराया। प्रो. डॉ. धीरज वणकर, जी.एस.एल सदगुणा आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद ने "दलित साहित्य की वर्तमान स्थिति: आत्मकथाओं के विशेष संदर्भ में" विषय पर प्रकाश डाला। डॉ. रतिलाल रोहित मुंबई युनिवर्सिटी, महाराष्ट्र ने "पद्य-गद्य विधाओं में दलित साहित्य" विषय पर प्रकाश डाला। आचार्य डॉ. पारुल सिंह सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं शोधार्थी इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर संगोष्ठी की संयोजक प्रा. डॉ. गायत्री लालवानी के मार्गदर्शन में हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने "आजादी का अमृत महोत्सव और 75 भारतीय साहित्यकार" के जीवन को प्रस्तुत करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया । जिसका उद्घाटन पद्मश्री प्रवीण दर्जी और श्री गोपालभाई धानका के करकमलों द्वारा हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम मे प्राचार्य पारुल सिंह लिखित पुस्तक "हाँसिए का साहित्य समस्याएं एवं समाधान" और डॉ. अभय परमार की आत्मकथा 'डेथ कांट स्टॉप मी" पर डॉ. गायत्री लालवानी द्वारा लिखित समीक्षात्मक पुस्तक "डेथ कान्ट स्टॉप मी: दलित विमर्श" का विमोचन माननीय पद्म श्री प्रवीण दर्जी साहब और श्री गोपालभाई धानका साहब ने किया। सम्पूर्ण कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ तथा महाविद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी सहित कॉलेज परिवार को पधारे अतिथियों द्वारा बधाईयां दी गई।

प्रस्तुति :
डॉ. गायत्री लालवानी

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स , 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार